

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव,
लखनऊ विश्वविद्यालय को
सम्बोधित करें, अन्य किसी
अधिकारी के नाम से नहीं

पत्र संख्या : .

दिनांक :

प्रेषक,

कुल सचिव,
लखनऊ विश्वविद्यालय,
लखनऊ

प्रेस विज्ञप्ति

सत्र 2019-20 के लखनऊ विश्वविद्यालय में अध्ययनरत्/ नवप्रवेशित अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं सामान्य वर्ग के सभी छात्र/ छात्राओं को सूचित किया जाता है कि पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं सामान्य वर्ग के जिन छात्र-छात्राओं के माता-पिता/ अभिभावक की समस्त श्रोतों से सकल वार्षिक आय रु0 2,00,000/- (रु0 दो लाख मात्र) तक है, एवं शासनादेश संख्या 138/2018/1381/26-3-2018 दिनांक 18 मई, 2018, के नये प्राविधानों के अनुसार अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के ऐसे सभी छात्र/ छात्राएं जिनके माता-पिता/ अभिभावक की समस्त श्रोतों से वार्षिक आय रु0 2,50,000/- (रु0 दो लाख पचास हजार मात्र) तक है, छात्रवृत्ति/ शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य है। वेबसाइट <http://scholarship.up.nic.in> पर जाकर 01 जुलाई 2019 से 10 अक्टूबर, 2019 तक ऑनलाइन आवेदन किया जाना है। आवेदन फार्म भरने के पश्चात् सभी संलग्नों सहित सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/ संकायाध्यक्ष से अभिप्रमाणित करवाकर आवेदन फार्म के प्रिंट आउट की एक प्रति लखनऊ विश्वविद्यालय के सी0पी0एम0टी0 भवन में छात्रवृत्ति अनुभाग के काउन्टर पर जमा करें। निर्धारित तिथि के पश्चात कोई भी आवेदन पत्र स्वीकार्य नहीं होंगे जिसके लिए छात्र/ छात्राएं स्वयं जिम्मेदार होंगे।

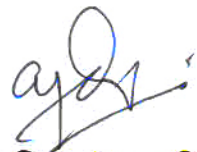
(एस0के0 शुक्ल)
कुल सचिव

संख्या : 357-13017-30

दिनांक : 25/6/19

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. निजी सचिव कुलपति, माननीय कुलपति जी के सूचनार्थ
2. समस्त संकायध्यक्ष/ विभागाध्यक्ष, लखनऊ विश्वविद्यालय को अपने विभाग के नोटिस बोर्ड पर चरप्पा कराने हेतु।
- ✓ 3. प्रो0 अनिल मिश्रा, प्रभारी कम्प्यूटर सेन्टर, डी0टी0पी0 अनुभाग को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
4. वित्त अधिकारी, ल0वि0वि0।
5. निदेशक, आई0पी0पी0आर0 ल0वि0वि0।
6. निदेशक आई0एम0एस0, नवीन परिसर, ल0वि0वि0।
7. प्रधानाचार्य, कला एवं शिल्प महाविद्यालय, ल0वि0वि0।
8. कुलानुशासक, ल0वि0वि0।


उप कुलसचिव (छात्रवृत्ति)
कृते कुल सचिव